अनवान देवाराम बनाम अनाराम
मुकदमा नंबर 98 / 2025

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-01-2026	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 512 रकबा 15.2162 हैक्टैयर ग्राम कुण्डल तहसील सिवाना में आई हुई। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन का निकटतम एवं लघुत्तम मार्ग विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 460 व 459 प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल ए से बी से दर्शाया गया है , प्रार्थी को विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थीगण रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की। विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब" दर्शित बिन्दू संख्या पी. से क्यू सरकारी रास्ता है जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि (पुराना खसरा संख्या 512 नवीन भू प्रबन्ध के बाद 238 व 239) खसरा संख्या 238 से लगता सरकारी रास्ता है जो मौके पर वर्तमान में प्रचलित है , प्रार्थी के पास पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने के कारण खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया [illegible] के परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसार :– (1) यह आवश्[illegible] अत्यांतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और (2) अन्य खातेदार की जो में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हैः–	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:33 IST
Reason: SelfAttested

अनवान देवाराम वगै मेघाराम

मुकदमा नंबर 98 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील हुए

तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" में दर्शित बिन्दू संख्या पी. से क्यू स्पष्ट करता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 238 से लगता सरकारी रास्ता उपलब्ध है जो मौके पर चालू है अर्थात प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए अनुसार नया रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यकता हो। यदि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है।, 2022 (2) *DNJ (Rev.) 1368 BORAD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER Brailal VS Maniram* में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है, हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी के पास आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

लिहाजा तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने तथा प्रार्थी रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.13 12:47:33 IST
Reason: SelfAttested